न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–10.02.2015

मुकदमा नम्बर 11/2015

1. भरत कुमार पुत्र नथमल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. मंदिर श्री रूघनाथजी (भगवानदास वाला) कोलसिया जरिये पुजारी श्री सत्यनारायण पुत्र नथमल चेला चरणदास जाति ब्राहम्ण निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :– श्री हरलाल सैनी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 10.07.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम कोलसिया मे मन्दिर मूर्ति श्री रूघनाथजी की भूमि खसरा नम्बर 847 रकबा 0.02 हेक्टर चाह जिसमे विद्युत पम्पिंग सैट जो वर्तमान मे बन्द है। खसरा नम्बर 848 रकबा 5.01 हैक्टर अवस्थित है, उक्त भूमि पर आवेदक का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्से पर अनावेदक का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मन्दिर मूर्ति के नाम मे दर्ज भूमि काश्तकार किसानो की सूचि जो तहसील नवलगढ द्वारा जारी की है, उसमे आवेदक व अनावेदक का नाम अंकित है, विद्युत पम्पिंग सैट का कनेक्शन आवेदक की पत्नि के नाम से विद्युत कनेक्शन विच्छेद है।

विद्युत पम्पिंग सैट आवेदक द्वारा नलकूप निर्मित कर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया, जिसके विद्युत उपभोग खाता संख्या 2035–2261–0233 है, जो आवेदक द्वारा ही सिंचाई के उपयोग मे लिया जाता था, जिसका सारा खर्चा आवेदक द्वारा ही अदा किया जाता है। वर्तमान में विद्युत संबंध विच्छेद करवा रखा है। आवेदक व अनावेदक सगे भाई है यानि नथमल के जायन्दा पुत्र है, अनावेदक चरणदास का चेला बन गया।

अनावेदक द्वारा एक ट्रस्ट सार्वजनिक प्रन्यास बनाया, जो देवस्थान से पंजिबद्ध है, उक्त ट्रस्ट की आड़ में आवेदक के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे अनावेदक मदालखत उत्पन्न करता है तथा अनावेदक उक्त ट्रस्ट की आड़ में अवैधानिक तरीके से आवेदक को बेदखल करना चाहता है तथा मन्दिर भूमि को खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है। अनावेदक आवेदक को आये दिन धमकी देता है कि कब्जेशुदा भूमि से बेदखल करूंगा तथा अन्य को काश्त हेतु सौपूंगा अथवा नोटेरी के जरिये विक्रय करूंगा की धमकी दिनांक 7.11.14 को देने पर राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 10.11.14 को प्राप्त होने व मन्दिर मूर्ति की ग्रामवार काश्त करने वाले किसानो की सूचि प्राप्त करने तथा काश्तगार को कानूनन बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है, न ही खुर्द–बुर्द करने का [illegible] को हाथ में लेकर लठ के बल पर बेदखल करने का अधिकार है तथा आवेदक को उसके [illegible] से वंचित करने का कोई वैध अधिकारो से वंचित करने का अधिकार है, इसलिये आवेदक अपने वैध अधिकारो की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अनावेदक की नियत में फर्क आ गया है, आवेदक को उसके वैध अधिकारो से वंचित करने पर आमादा है, अगर अपनी नाजायज मंशा में अनावेदक सफल हो गया तो आवेदक का वाद करना ही व्यर्थ हो जायेगा साथ ही साथ अपने वैध अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा, जिससे व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फंसना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

होगा, जिसकी वजह से आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही होगी, मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी पड़ेगी, आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन होने के कारण से आवेदक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिये अनावेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त, लाट–बाट, उपयोग उपभोग मे न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करे, न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, न ही भूमि को खुर्द–बुर्द स्वयं करे, न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, ना ही आवेदक को भूमि से स्वयं बेदखल करे, ना ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे।

आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। अगर आवेदक का प्रार्थना–पत्र स्वीकार नही होगा तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 848 रकबा 5.01 हैक्टर के 1/2 हिस्से तथा खसरा नम्बर 847 रकबा 0.02 हैक्टर मे नलकूप जो आवेदक का सम्पूर्ण है, उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग, लाट बाट शांतिपूर्वक करने देवे, न तो इसमे स्वयं बाधा डाले, न ही अन्य किसी से डलवाये, न ही आवेदक को कब्जे काश्त से बेदखल स्वयं करे, न ही अन्य किसी से करवावे, न ही भूमि को खुर्द–बुद किसी भी तरीके से स्वयं करे, न ही अन्य किसी से करवावे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण की ओर से वकील श्री हरलाल सैनी उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– प्रार्थना पत्र की धारा 1 में केवल मात्र वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है, शेष इबारत गलत है, अस्वीकार है। आवेदक का दावा आधारहीन है और उसमे आवेदक को कोई सफलता मिलने की कोई गुँजाइश नही है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में केवल मात्र वर्णित भूमि व चाह स्थित होना स्वीकार है, शेष तथ्य गलत है और अस्वीकार है। आवेदक का यह कथन कतई गलत है कि खसरा नम्बर 847 रकबा 0.02 हैक्टेयर चाह है, जिसमे विद्युत पम्पिग सैट लगा है जो वर्तमान में बंद है। वास्तविकता यह कि जब खसरा नम्बर 847 मे कभी भी विद्युत पम्पिग सैट रहा ही नही है तो वर्तमान में बंद होने का सवाल ही पैदा नही होता है। आवेदक का यह कथन कतई गलत है कि उक्त भुमि के 1/2 हिस्से पर आवेदक का कब्जा काश्त चला आ रहा है बल्कि वस्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 847 व 848 पर ना तो कभी आवेदक का कब्जा रहा है और ना ही कभी काश्त किया है बल्कि अनावेदक द्वारा हीकाश्त करवाया जाता रहा है और अनावेदक का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवेदक ने जिस सूचि में अपना नाम होना व अपनी पत्नी के नाम विद्युत कनेक्शन होना दर्ज किया है उसका सम्पूर्ण जवाब अतिरिक्त उतर में दिया जावेगा। यह रिकॉर्ड साजिश पूर्वक बाला बाला पूर्व सरपंच श्री रामचन्द्र खेदड, की मदद से साजिश के तौर पर मुर्ति मन्दिर की भूमि हड़पने के लिए गलत तैयार करवाया गया है।

प्रार्थना पत्र की धारा 3 में आवेदक व अनावेदक के पुजारी का आपस मे सगे भाई होना स्वीकार है तथा नथमल के जाईन्दा पुत्र होना स्वीकार है, परन्तु नथमल का दूसरा पुत्र सत्यनारायण बाल्यकाल में ही चरणदास का चेला बन गया था जिसकी शादी भी चरणदास ने ही की थी। शेष इबारत गलत है और अस्वीकार है। आवेदक ने विद्युत उपभोग खाता संख्या मे जो नम्बर दर्ज किये गये हैं, वह खाता संख्या "तेजपाल कोलसिया" के नाम से दर्ज है और आवेदक या [illegible] के नाम से नही है, शेष जवाब अतिरिक्त उत्तर में दिया जावेगा।

प्रार्थना–पत्र की धारा 4 में अनावेदक जवाबदेहन्दा द्वारा [illegible] ट्रस्ट सार्वजनिक प्रन्यास बनाया जाना और उक्त प्रन्यास देवस्थान विभाग में पंजीबद्ध होना स्वीकार है, शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक का यह कथन कतई गलत है कि [illegible] के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे अनावेदक मदाखलत उत्पन्न करता है और अनावेदक उक्त ट्रस्ट की आड में अवैद्यानिक तरीके से आवेदक को बेदखल करना चाहता हो, जब उक्त विवादित भूमिपर आवेदक का कोई कब्जा काश्त ही नही है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:59 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट-टैक) नवलगढ़

ऐसी सुरत मे अनावेदक जवाबदेहन्दा द्वारा आवेदक के उपयोग उपभोग में मदाखलत पैदा करने या उसको बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आवेदक का यह कथन भी कतई गलत है कि मन्दिर की भूमि को अनावेदक का पुजारी खुर्द बुर्द करने की फिराक में है। आवेदक का यह कथन भी कतई गलत है कि अनावेदक आये दिन आवेदक को बेदखल करने, अन्य को काश्त हेतु सौंपने और नोटेरी के जरिये बेचने की धमकी देता हो। आवेदक को दिनॉक 7.11.2014 का तथ्य कतई गलत है और काल्पनिक तौर पर दर्ज किया गया है। आवेदक का उस विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है. नाहिं आवेदक का कोई कब्जा कारत है और नाहि आवेदक उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता है। आवेदक ने उक्त तथ्य कतई गलत और काल्पनिक व मनगढन्त दर्ज किये हैं।

प्रार्थना–पत्र की धारा 5 गलत है और अस्वीकार है। आवेदक का यह कथन कतई गलत है कि अनावेदक की नियत में फर्क आ गया है और वह आवेदक को उसके वैद्य अधिकारों से बंचित करने को आमादा है। जब इस भूमि पर आवेदक का कोई अधिकार ही नहीं है तो उसको वैचित करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब आवेदक को यह वाद व मौजूदा प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है तो ऐसी सुरत में वाद के व्यर्थ हो जाने और अपने अधिकारों से वैचित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आवेदक का नातो प्रथम दृष्टिया मामला है और नाहिं सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में है तथा आवेदक को अपूर्णीय नुकशान होने का भी कोई अन्देशा नहीं है और आवेदक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी सुरत में अनावेदक जवाबदेहन्दा को पाबन्द किये जाने का नातो कोई औचित्य है और नाहिं कानूनी रूप से अनावेदक जवाबदेहन्दा को पाबन्द किया जा सकता है, शेष जनाब अतिरिक्त उत्तर में दिया जावेगा।

प्रार्थना पत्र की धारा 6 गलत है और अस्वीकार है। आवेदक का ना तो कोई प्रथम दृष्टिया मामला है और नाहिं सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में है और प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने की सुरत में आवेदक को किसी प्रकार की कोई क्षति होने का कोई अन्देशा भी नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र आवेदक खारिज होने लायक है। प्रार्थना–पत्र की धारा 7 का जवाब वरवक्त बहस दिया जावेगा।

अतिरिक्त–उत्तर

ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 847 गैर मुमकिन चाह व भूमि खसरा नम्बर 848 रकबा 5.01 हैक्टेयर स्थित है जिसकी खातेदार काश्तकार मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी (भगवानदास वाला) है और उसी का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि से आवेदक का कोई भी सम्बन्ध नहीं है और नाहिं आवेदक का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त है और नाहिं आवेदक को इस भूमि का उपयोग उपभोग करने का कोई अधिकार है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक प्रन्यास कायम किया जाकर देवस्थान विभाग द्वारा पंजीबद्ध किया गया है जिसका मन्दिर का पुजारी सत्यनारायण ट्रस्टी है और वही विवादित भूमि को काश्त करवाता है तथा आय–व्यय का लेखा–जोखा रखता है और वॉर्षिक आडिट करवाकर ऑडिट रिपोर्ट देवस्थान विभाग में भेजता है। देवस्थान विभाग द्वारा उक्त भूमि का ट्रस्ट पंजीबद्ध करने से पूर्व सार्वजनिक तौरपर आम जनता से आपत्तीयाँ माँगी गई थीं, इसके बावजूद आवेदक का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं होने के कारण से ही आवेदक ने अपनी कोई आपत्ती दर्ज नहीं करवाई, अगर आवेदक का इस भूमि से कोई सम्बन्ध होता तो वह निश्चित रूप से प्रन्यास पंजीबद्ध होने से पूर्व देवस्थान विभाग मे अपनी आपत्ति दर्ज करवाता, जो आवेदक [illegible] दर्ज करवाई गई है इसलिए भी प्रार्थना–पत्र आवेदक मय हर्जा खर्चा खारिज होने लायक है।

भूमि खसरा नम्बर 848 में से करीबन 25 बीघा खाम भूमि [illegible] पुजारी सत्यनारायण व उसके गुरु चरणदास जी ने अपने भाई नथमल शर्मा को [illegible] के आधार पर काश्त हेतु बता रखी थी, जो इस शर्त पर बताई गई थी कि जब [illegible] पत्नी जिन्दा रहेगें, तब तक काश्त करते रहेगें तथा उसके बाद मे नथमल के किसी भी वारीश का इस भूमि में कोई भी हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त नही होगा और नाहिं कोई कब्जा रहेगा। इसकी बाबत स्वर्गीय श्री नथमल शर्मा ने अपना एक

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:59 IST
Reason: Self Attested

शपथ–पत्र भी लिखकर पुजारी सत्यनारायण को दिनांक 30–12–1992 को दे दिया था जिसमे भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नथमल व उसकी धर्मपत्नी की मृत्यु के पश्चात उनके वारीशान का इस भूमि में कोई हक व अधिकारनहीं होगा और नाहिं कोई कब्जा रहेगा। नथमल का देहान्त सन् 1998 मे हो चुका है तथा उसकी धर्मपत्नी का देहान्त सन् 2006 में हो चुका है। नथमल की धर्मपत्नी का देहान्त होने के पश्चात इस भूमि को पुनः मूर्ति–मन्दिर काश्त करवाने लग गया था, तब से लेकर अब तक उक्त विवादित्त भूमिपर कब्जा काश्त मूर्ति–मन्दिर श्री रघुनाथ जी का जरिये पुजारी रहा है। इस भूमि को सम्वत 2070 में दक्षिणी तरफ की आधी जमीन गिरधारीलाल को बैटाई पर बताई थी तथा शेष उत्तरी तरफ की आधी जमीन मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी की तरफ से काश्त करवाई गई थी तथा सम्वत 1971 में भी आधी जमीन गिरधारीलाल को व शेष आधी जमीन फूलाराम का आधी बँटाईपर काश्त करवाई थी जिससे स्पष्ट है कि आवेदक का उक्त भूमिपर नातो कोई कब्जा काश्त है और नाहिं उसका उक्त भूमिपर किसी तरह का कोई अधिकार है। नथमल के शपथ–पत्र की फोटो प्रति जवाब के साथ में पेश की जा रही है।

ग्राम कोलसिया का पूर्व सरपंच श्री रामचन्द जी खेदड हमेशा से ही मूर्ति–मन्दिर की भूमि को नाजायज रूप से हडपने के लिऐ प्रयासरत रहा है तथा कुछ भूमिपर उन्होंने नाजायज रूप से कब्जा भी कर लिया है जिसकी बाबत रामचन्द्र खेदड व मूर्ति मन्दिर के बीच विभिन्न न्यायालयों में कई मुकदमे भी चल रहे हैं। रामचन्द्र खेदड एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो मूर्ति मन्दिर के पुजारी को बर्बाद करने पर तुले हुऐ हैं और वे पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं तथा उनके सरपंच काल मे आवेदक ने उनसे साजिस कर व बिजली विभाग के कर्मचारी से मिलकर काल्पनिक तौर पर केवल मात्र कागजों मे विद्युत कनेक्शन ले लिया था, परन्तु मौके पर ना तो कोई विद्युत कनेक्शन लगा और नाहिं पानी निकालने के लिए कोई पम्पिंग सैट लगाया गया था और नाहिं कोई मीटर लगाया गया था बल्कि उक्त भूमि को हडपने के लिए कागजों मे बाला–बाला साजिशी तौरपर यह घरेलू विद्युत कनेक्शन लिया था, जबकि इस भूमि मे आवेदक के कोई घर व मकान आदि कुछ भी नहीं हैं जिससे भी स्पष्ट है कि विद्युत कनेक्शन केवल फर्जी तरीके से काल्पनिक तौरपर लिया गया है। आवेदक ने अनावेदक की भूमि कोहडपने के लिऐ इस भूमि की सीमा के 10 फुट अन्दर की तरफ मौका देखकर रातों–रात बोरिंग करवालिया था, परन्तु जब पुजारी सत्यनारायण को पता चला तो उसने अपनी जाईन्दा माता से कहा, तब अनावेदक जवाबदेहन्दा की जाईन्दा माता ने इस बोरिंग में कोई विद्युत कनेक्शन नहीं लेने दिया। इस वक्त भी इस बोरिंग मे आवेदक का ना तो कोई पम्पिंग सैट लगा है और नाहिं कोई फिटिंग है और नाहिं कोई मीटर लगा हुआ है। तमाम कार्यवाही मूर्ति–मन्दिर की भूमि को हडपने के लिऐ फर्जी तौर पर की गई है। इसी प्रकार तहसीलदार से साजकर गलत तौरपर इस भूमि के 1/2 हिस्से में गलत रूप से अपना नाम अंकित करवाया है जिसको आधार बनाकर यह झूठा दावा व गलत प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं जो कानूनन खारिज होने लायक हैं।

आवेदक ने विवादित भूमिपर जबरन कब्जा करने की नियत से जाँटी छाँगना चालू कर दिया था जिस पर प्रबन्धक व कार्यवाहक प्रन्यासी सत्यनारायण शर्मा द्वारा तहसील नवलगढ़ में प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसपर तहसीलदार तहसील नवलगढ ने पटवारी हल्का को मौकेपर भेजकर जाँटी नही छाँगने के लिए आवेदक को पाबन्द किया गया था और प्रबन्धक व कार्यवाहक प्रन्यासी ने ही विवादित भूमि की जॉटियाँ छँगवाई थी जिसके दो मिरडों की छडियाँ मौके पर पड़ी हुई हैं और उसी जगह मूर्ति मन्दिर का एक टैणों का मकान बना हुआ था जिसमे लूँग पडी हुई थी जिसको भी करीबन 8–10 दिन पहले आवेदक रात के समय मौका देखकर चुराकर ले गया और बाला बाला एकपक्षीय स्थगन आदेश गलत तथ्यों के आधार पर लेकर विवादित भूमिपर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई थी, परन्तु वह अपनी गलत निति मे सफल नहीं हो सका। अब भी वह धमकी दे रहा है कि छडियाँ व मिरडे को उठाकर ले जाऊँगा और भूमिपर जबरन कब्जा करूँगा। विवादित भूमि को हडपने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक ने दावा व मौजूदा दरख्वास्त पेश किये हैं जो चलने काबिल नहीं हैं। आवेदक ने दावा और मौजूदा दरख्वास्त मूर्ति मन्दिर के खिलाफ ना करके मन्दिर श्री रघुनाथ जी (मकान वाला) के खिलाफ पेश किया है। कानून के मुताबिक मन्दिर श्री रघुनाथ जी व्यक्ति की परीभाषा मे नहीं आते हैं, मन्दिर श्री रघुनाथ जी एक मकान है जिसके खिलाफ कानूनी रूप से कोई दावा पेश नहीं किया जा सकता है। कानून के मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रैक, नवलगढ़

केवल मूर्ति–मन्दिर को ही शाश्वत नाबालिग का दर्जा प्राप्त है और मन्दिर कोई व्यक्ति नही होता है। इस प्रार्थना–पत्र मे अनावेदक मन्दिर श्री रघुनाथ जी (भगवानदास वाला) को अनावेदक दर्जकर पाबन्द करवाने की इस्तदुआ चाही है. मन्दिर के खिलाफ कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। मन्दिर का पुजारी केवल मूर्ति का सेवक है और भूमि की रक्षा करता है. उसको पाबन्द करवाने की कोई इस्तदुआ नही चाही गई है, इसलिए भी प्रार्थना–पत्र आवेक प्राथमिक रूप से ही खारिज होने लायक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। आवेदक ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया तथा वकील अनावेदक ने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदक का मुख्य कथन है कि विवादग्रस्त भूमि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है जिसपर आवेदक का कब्जा काश्त है तथा आवेदक ने उक्त भूमि पर पंम्पिग सैट तथा विधुत कनेक्शन ले रखा है। उक्त भूमि में अनावेदक जबरन आवेदक को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। जिस बाबत अनावेदक को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा काश्त है जिसपर अनावेदक जबरन आवेदक के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करना चाहता है। अगर उक्त आराजी खुर्द बुर्द हो जाती है तो वाद बहुलता हेागी तथा आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में है।

- **अपूरणीय क्षति :–** उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा विवादग्रस्त भूमि आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक के पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम कोलसिया भूमि खसरा नम्बर 847 रकबा 0.02 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 848 रकबा 5.01 हैक्टर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 10.02.2015 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
[illegible] कलक्टर एवं कार्यपालक
[illegible]स्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:16:59 IST
Reason: SelfAttested